



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272852
CG-DL-E-25052026-272852

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2532]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 2532]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

का.आ. 2624(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 1337 दिनांक 21 मार्च 2025 का.आ. 1355 (अ) भाग ii खंड 3 उपखंड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की तहसील- जम्बूसर जिला भरूच और तहसील- पादरा जिला वड़ोदरा की भूमि में गुजरात राज्य में 4" व्यास ऑयल पाइप लाइन D# 4 से D#61 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रही परियोजना के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 21 मार्च 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ओ.एन.जी.सी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ओ.एन.जी.सी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

Sl.No.	Name of Village	Survey No/Block No	Area		
			Hect.	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5	6
4" व्यास ऑयल पाइप लाइन D# 4 से D#61					
TALUKA: JAMBUSAR		DISTRICT: BHARUCH		STATE: GUJRAT	
1	KAHANVA	813	00	07	57
		818	00	15	60
		829	00	15	39
		827	00	00	57
		828	00	03	76
		830	00	03	97
		825	00	17	90
TALUKA: PADRA		DISTRICT: VADODARA		STATE: GUJRAT	
2	MASAR	545	00	43	46
		544	00	00	15
		536	00	09	09
		535	00	07	38
		534	00	12	82
		538	00	00	11
		381	00	18	14
		679	00	21	83
		680	00	06	16
		681	00	13	35
		684	00	07	04
		1539	00	01	94
		687	00	02	05

Sl.No.	Name of Village	Survey No/Block No	Area		
			Hect.	Are	Sq. Mtr.
		686	00	08	55
		1476	00	01	34
		960	00	16	77
		961	00	16	56

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/5/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-52470)]
रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2026

S.O. 2624(E).— Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No. 1337 date 21 March 2025 SO.No.1355(A) Part-II,Section-3,Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Jambusar, District Bharuch and Tehsil Padra District Vadodara in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum from 4" Dia Flow Line From D#4 To D#61 Area By the Oil & Natural Gas Corporation Ltd "

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 21 March 2025.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

Sl.No.	Name of Village	Survey No/Block No	Area		
			Hect.	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5	6
4" Flow Line D#4 To D#61					
TALUKA: JAMBUSAR		DISTRICT: BHARUCH		STATE: GUJRAT	
1	KAHANVA	813	00	07	57
		818	00	15	60
		829	00	15	39
		827	00	00	57
		828	00	03	76

SI.No.	Name of Village	Survey No/Block No	Area		
			Hect.	Are	Sq. Mtr.
		830	00	03	97
		825	00	17	90
TALUKA: PADRA		DISTRICT: VADODARA		STATE: GUJRAT	
2	MASAR	545	00	43	46
		544	00	00	15
		536	00	09	09
		535	00	07	38
		534	00	12	82
		538	00	00	11
		381	00	18	14
		679	00	21	83
		680	00	06	16
		681	00	13	35
		684	00	07	04
		1539	00	01	94
		687	00	02	05
		686	00	08	55
		1476	00	01	34
		960	00	16	77
		961	00	16	56

[F. No. Expl-13011(26)/5/2025-EXPL-PNG (E-52470)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.